

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.23(2)चि. एवं स्वा.3/ग्रुप-3/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक 5 JAN 2010


अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) सपठित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.23(2)चि.स्वा./2003 पार्ट दिनांक 01 जुलाई 2003 समय समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "शासन सचिव (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग" को अभिव्यक्ति "विशिष्ट शासन सचिव (परिवार कल्याण)" से प्रतिस्थापित किया जावेगा

राज्यपाल की आज्ञा से



(महेश चन्द्र शर्मा)
उप शासन सचिव